है। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही उचित होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कीर्ति पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 93 / 2023

शीर्षक

1. श्री बालाजी शिक्षा समिति जरिये चैयरमैन श्री भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट, उम्र 76 वर्ष, निवासी ए 51 हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. काली पत्नी जगदीश
2. जयराम पुत्र बालूराम
3. देवकी पुत्री रामकरण
4. धर्मा पुत्री जगदीश
5. नाथूराम पुत्र हरसहाय
6. प्रेम पुत्री हरसहाय
7. बलराम पुत्र रामकरण
8. बिमलादेवी पुत्री बालूराम
9. मंजू पुत्री जगदीश
10. मंजूदेवी पुत्री बालूराम
11. ममता पुत्री रामकरण
12. मोहनी पुत्री हरसहाय
13. रतनलाल पुत्र जगदीश
14. रामकिशन पुत्र रामकरण
15. रामादेवी पत्नी बालूराम
16. लक्खाराम पुत्र हरसहाय
17. विक्रम पुत्र रामकरण
18. श्रीराम पुत्र बालूराम
19. सजना पत्नी रामकरण
20. सजनादेवी पुत्री बालूराम
21. सुरज्ञान पुत्र हरसहाय
22. सीताराम पुत्र बालूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

23. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 20/3/2025

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 211 के खसरा नम्बर 5608 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, सम्पूर्ण में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 काली हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 2 जयराम का हिस्सा 1/42, प्रतिवादी संख्या 3 देवकी का हिस्सा 1/126, प्रतिवादी संख्या 4 धर्मा हिस्सा 1/84, प्रतिवादी सख्या 5 नाथूराम का हिस्सा 1/21, प्रतिवादी संख्या 6 प्रेम का हिस्सा 1/21, प्रतिवादी संख्या 7 बलराम का हिस्सा 1/126, प्रतिवादी संख्या 8 बिमलादेवी का हिस्सा 1/42, प्रतिवादी संख्या 9 मंजू का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 10 मंजूदेवी का हिस्सा 1/42, प्रतिवादी संख्या 11 ममता का हिस्सा 1/126, प्रतिवादी संख्या 12 मोहनी का हिस्सा 1/21, प्रतिवादी संख्या 13 रतनलाल का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 14 रामकिशन का हिस्सा 1/126, प्रतिवादी संख्या 15 रामा देवी का हिस्सा 1/42, प्रतिवादी संख्या 16 लक्खाराम का हिस्सा 1/21, प्रतिवादी संख्या 17 विक्रम का हिस्सा 1/126, प्रतिवादी संख्या 18 श्रीराम का हिस्सा 1/42, प्रतिवादी संख्या 19 सजना का हिस्सा 1/126, प्रतिवादी संख्या 20 सजनादेवी का हिस्सा 1/42, प्रतिवादी सख्या 21 सुरज्ञान का हिस्सा 1/21, प्रतिवादी सख्या 22 सीताराम का हिस्सा 1/42, के अनुसार रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 22 मौके पर मनबंट एवं आपसी बाहमी बटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त हैं। जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मनबट के आधार पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 22 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू-माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 1/2 पर मनबट के आधार पर काबिज काश्त हैं, व निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमादा हैं। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नही हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रतिवादीगण वादी के कब्जे कश्त की भूमि से ताकत व संख्या बल के जोर पर [illegible] कब्जे से बेदखल कर भूमि को हडपना चाहते है तथा वादी की भूमि को औने पौने दामो मे खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यह कि दिनांक 04/08/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या 5 नाथूराम कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बेचान करने की धमकी दी व आयदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो उक्त भूमि को भू-माफियाओं को बेचान करेगें व खुर्द बुर्द कर तुम्हें बेदखल करके रहेगें, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू-माफियाओं से तालूकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर सहकश्तकारान् की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने बेचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में जबरन बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा अब वादी को सयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने व वादी को उसके गनवटी काबिज हिस्से की भूमि से बेदखल करने व भूमि की किस्म कृषि से गैर कृषि में समपरिवर्तन कराये बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का उनको कोई अधिकार प्राप्त नही हैं यदि प्रतिवादीगण ऐसा कृत्य करने में कामयाब हो जाते है तो वादी अपने वैधानिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा बिना वजह मुकदमो की बाहुल्यता बढेगी, इसलिए प्रतिवादीगण को ऐसा अवैधानिक कार्य करने से रोकने व वादी के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिये यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र के मद सख्या 1 में वर्णित ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित जमाबन्दी जमाबन्दी सवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 211 के खसरा नम्बर 5608 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, सम्पूर्ण में वादी का 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण में जमाबन्दी में दर्ज वादी के हिस्से 1/2 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, न करे न ही बैचान हस्तान्तरण करें, कच्चा पक्का निर्माण नही करें, बाधा न स्वयं करें न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5, 16, 17, 21 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल गुप्ता ने अण्डरटेकिंग दी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, 6, 8, 10 लगायत 13, 15, 18 लगायत 20 व 22 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 06.11.2024 को वकील उभयपक्ष ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी तदानुसार दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/5380 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में वकील प्रतिवादी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु उचित अवसर प्रदान किये गये परन्तु अवसर दिये जाने पश्चात् भी वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश नहीं करने पर वकील प्रतिवादी का आपत्ति पेश करने हेतु अवसर बंद किया गया एवं वकील वादी ने दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 211 के खसरा नम्बर 5608 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **काली पत्नि जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/84 जाति**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजु देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नी बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्री बालाजी शिक्षा समिति हिस्सा 1/2 कार्यालय जरिये चैयरमैन श्री भागीरथ पुत्र गोदूराम पुनिया जाति जाट ए 51 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/21 सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/42 सा0 देह खातेदारान् के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5608/1 रकबा 0.0450 है0 भूमि शामलाती रास्ते हेतु रहेगी।

2. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 01/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजु देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नि बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/63 जाति

सहायक कलक्टर
(... जयपुर) राज.

गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5608/2 रकबा 0.2225 है0 भूमि रहेगी।

3. श्री बालाजी शिक्षा समिति कार्यालय जरिये चैयरमैन श्री भागीरथ पुत्र गोदूराम पुनिया जाति जाट निवासी ए–51 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5608/3 रकबा 0.2225 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 93 / 2023

शीर्षक

1. श्री बालाजी शिक्षा समिति जरिये चैयरमैन श्री भागीरथ पूनिया पुत्र मोतूराम पूनिया जाति जाट, उम्र 76 वर्ष, निवासी ए 51 हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. काली पत्नी जगदीश
2. जयराम पुत्र बालूराम
3. देवकी पुत्री रामकरण
4. धर्मा पुत्री जगदीश
5. नाथूराम पुत्र हरसहाय
6. प्रेम पुत्री हरसहाय
7. बलराम पुत्र रामकरण
8. बिमलादेवी पुत्री बालूराम
9. मंजू पुत्री जगदीश
10. मंजूदेवी पुत्री बालूराम
11. ममता पुत्री रामकरण
12. मोहनी पुत्री हरसहाय
13. रतनलाल पुत्र जगदीश
14. रामकिशन पुत्र रामकरण
15. रामादेवी पत्नी बालूराम
16. लक्खाराम पुत्र हरसहाय
17. विक्रम पुत्र रामकरण
18. श्रीराम पुत्र बालूराम
19. सजना पत्नी रामकरण
20. सजनादेवी पुत्री बालूराम
21. सुरज्ञान पुत्र हरसहाय
22. सीताराम पुत्र बालूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

23. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 20/03/2025

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 211 के खसरा नम्बर 5608 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजु देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नी बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्री बालाजी शिक्षा समिति हिस्सा 1/2 कार्यालय जरिये चैयरमैन श्री भागीरथ पुत्र गोदूराम पुनिया जाति जाट ए 51 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 1/126 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/21 सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/42 सा0 देह खातेदारान् के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5608/1 रकबा 0.0450 है0 भूमि शामलाती रास्ते हेतु रहेगी।
2. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 01/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजु देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/42 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नि बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 1/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/21 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5608/2 रकबा 0.2225 है0 भूमि रहेगी।

3. श्री बालाजी शिक्षा समिति कार्यालय जरिये चैयरमैन श्री भागीरथ पुत्र गोदूराम पुनिया जाति जाट निवासी ए–51 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5608/3 रकबा 0.2225 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 20/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेतर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

द के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.